Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, Inspection and copy

Misc token no. दानापुर-वता 671 Serial no. 10721

Year

Date 8/9/18

Received from

Following fees:

F (i)- 0 F (iii)- 0 G- 0

F (ii)- 0 F (iv)- 0 G(a)- 0

Total- 300

Registering Officer

भार प्रमाण-पत्र

आवेदन सं० 10721 19

व्यवहारों और अव्यवहारों का [illegible] प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये

[illegible] करने वाले संव्यवहारों और अव्यवहारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध

Executive

भारों का पता भेजा

3479/17 6 दिसंबर

विवरण	तारीख	) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्र० निदेश			
			निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मौजा - आदमपुर

थाना नं० - 39

थाना - 83

खाता - 245

खसरा - 38.5 sft

मौजा - 5172

Scanned by CamScanner

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. सम्पत्ति पर की दिशा स्थान भवन का, और पड़ोसन पूर्व अवधि दर्ज करें। मतलब की उनके घरों में उल्लेख हो।
3. पट्टे की शर्तों में पट्टों की अवधि और सम्पत्ति का विवरण दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़कर कोई संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण को नाम निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम):

कार्यालय: Ghaziabad

दिनांक: 08/9/18

मुहर एवं [illegible] भूमि कार्यालय हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के [illegible] पाये गये हैं। यदि कोई संव्यवहार किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी निबंधन संव्यवहारों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से [illegible] (ज्ञानोपलब्धता) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 45 के अधीन जो सूचियां (पंजीयन) और अनुक्रमणिकायें (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हैं [illegible] संतोषजनक सेवा चाहते हैं किसी निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उसे तलासी स्वयं करनी होगी। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर सूचियां और अनुक्रमणिकायें उसके आम मामले रहती जायेंगी।

(अ) किन्तु यूकि उक्त मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण-पत्र को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ब) और चूंकि विधान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद हुई सभी संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विधान आवेदक द्वारा छूटी रही ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिसमें उक्त नोटिस का प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक.....

द्वारा संख्या 3850 दिनांक 8/9/18

आवेदक श्री/श्रीमती सरस्वती देवी

का प्रस्तुत प्रमाण-पत्र द्वारा C.K.C Housing Finance Ltd.

का उसके पक्ष संबंधित [illegible] के प्रसंग में तलासी की गयी है।

[signature]

Scanned by CamScanner